राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.)
National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)
(An ISO 9001 : 2008 Certified Organisation)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India

F. No. 1(16)/2017-NIELIT [Vol.III] | 1420 01/10/2018

CIRCULAR

In order to ensure a clean, decent and safe work environment that is also conducive for work at NIELIT Headquarters, an assembly of all employees in NIELIT Headquarters, including contractual manpower through outsourced agency and otherwise, was called at 04:00 PM on Friday, 28th September 2018, in the Conference Room (Room No. 106) of NIELIT Bhawan under the chairmanship of Registrar, NIELIT and in the presence of all Heads of Wings, NIELIT Headquarters, and accordingly, the following is conveyed for information and compliance: -

2. It is important to speak against any form of discrimination at any level of hierarchal structure, pointing out that discrimination infringes upon an individual's constitutional right to equality and attacks one's dignity, which has no place in our society at any place let it be office or outside, and the perpetrator found guilty will be dealt as per per the provisions of existing rules/ laws.

3. Any form of sexual harassment of female employees in workplace should not be taken lightly and must be reported immediately to the undersigned or any other appropriate forum, like NIELIT's "Internal Complaints Committee" for looking into sexual harassment at workplace, or any senior level officer to suit one's comfort level. A complaint can be made even on apprehension basis in the absence of concrete proof so as to rule out any possible mishappening/ threat in future. However, every care should be exercised to prevent misuse of the channel to settle personal scores or out of jealousy or driven by such negative sentiments.

4. As a responsible and aware member of the society, it is duty of each NIELIT employee to escalate such matters that infringe upon their own or other's right to a safe, clean and decent working environment. Each unreported misconduct acts as vote of encouragement for the perpetrator, and each time the wrongdoer gets away without being taken to task, he/ she is likely to repeat the offence with greater enthusiasm and intensity.

continued on page 2

5. Any incidence of misconduct may be reported over e-mail at *registrar@nielit.gov.in*, or by a written application, directly to the undersigned. Alternatively, employee may submit written complaint to one's Reporting/ Controlling Officer or any other senior colleague who enjoys one's confidence. The employee can also write to NIELIT's "Internal Complaints Committee" looking into matters concerning sexual harassment at workplace.

6. Confidentiality of the complainant's identity will be safeguarded while taking cognizance of the complaint. The offender found guilty will be suitably dealt as per per the provisions of existing rules/ laws.

7. Finally, it is requested to exercise absolute integrity while reporting any such incidence(s) and report genuine cases only. A frivolous complaint, based on vengeance or any other negative sentiment, may result into undue unfavorable action in the service matters of the person complained upon on a long-term basis. Also not to forget, the joy of getting even will be shortlived, but the guilt of implicating someone on false charges will haunt conscience for a lifetime, without respite.

(Janak Raj)
Registrar

To All the regular employees of NIELIT Headquarters – *with a request to share the circular widely among the contractual staff working under their supervisory control or interacting with them in their day-to-day work environment.*

Copy to: -

(1) All Head of Wings, NIELIT Headquarters – *for information, circulation among their contractual staff as well as for future compliance*

(2) Webmaster, NIELIT Headquarters – *for uploading on NIELIT's website*

Copy for information to: - The Staff Officer to the Director General, NIELIT

रा.इ.सू.प्रौ.सं
NIELIT

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.)
National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)
(An ISO 9001 : 2008 Certified Organisation)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India

मिसिल सं. 1(16)/2017-रा.इ.सू.प्रौ.सं./ [खंड.III] | 1420 01/10/2018

परिपत्र

रा.इ.सू.प्रौ.सं. मुख्यालय में स्वच्छ, सभ्य और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जो की काम के लिए भी अनुकूल है, रा.इ.सू.प्रौ.सं. मुख्यालय में आउटसोर्स एजेंसी एवं अन्यथा माध्यमों से नियुक्त संविदात्मक जनशक्ति सहित सभी कर्मचारियों की एक सभा, शुक्रवार दिनांक 28 सितंबर 2018 को शाम 04:00 बजे नाईलिट भवन के सम्मेलन कक्ष (कक्ष संख्या 106) में रजिस्ट्रार, रा.इ.सू.प्रौ.सं. की अध्यक्षता में और सभी प्रभाग प्रमुखों की उपस्थिति में बुलाई गई, और तदनुसार, निम्नलिखित सूचना और अनुपालन के लिए व्यक्त किया गया है: -

2. संस्थान संरचना के किसी भी स्तर पर भेदभाव के किसी भी प्रकार के खिलाफ बात करना महत्वपूर्ण है। भेदभाव किसी व्यक्ति के समानता के संवैधानिक अधिकार पर उल्लंघन करता है और किसी की गरिमा पर हमला करता है, जिसका किसी भी स्थान पर हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है, और दोषी पाए गए अपराधी को मौजूदा नियमों / कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

3. कार्यस्थल में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के किसी भी रूप को हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। इस संबंध में शिकायत अद्योहस्ताक्षरी या किसी अन्य उपयुक्त मंच, जैसे की कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के मामलों का निपटारा करने के लिए बनी "आंतरिक शिकायत समिति" या किसी भी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, जिसके साथ कर्मचारी का विश्वास हो, को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। पुख्ता सबूत की अनुपस्थिति में आशंका के आधार पर भी शिकायत की जा सकती है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित दुर्घटना/ खतरे को टाला जा सके। इस संबंध में व्यक्तिगत दुश्मनी या ईर्ष्या या ऐसी नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर शिकायत करने से बचना चाहिए।

4. समाज के एक जिम्मेदार और जागरूक सदस्य के रूप में, यह प्रत्येक रा.इ.सू.प्रौ.सं. कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों को रोशनी में लाये जो उनके अपने लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और सभ्य कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। प्रत्येक दुर्व्यवहार जो उजागर नहीं किया जाता, अपराधकर्ता के प्रोत्साहन के लिए समर्थन में वोट का काम करता है, और हर बार जब गलत काम करने वाला व्यक्ति बच निकलता है, तो वह अगली बार अधिक उत्साह से और बड़ा अपराध करने की संभावना रखता है।

पृष्ठ संख्या 2 पर जारी

5. दुर्व्यवहार की किसी भी घटना को सीधे अद्योहस्ताक्षरी को उनके ई-मेल *registrar@nielit.gov.in* पर, या लिखित आवेदन के माध्यम से सूचित किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारी उनके रिपोर्टिंग/ नियंत्रक अधिकारी या किसी भी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, जिसके साथ कर्मचारी का विश्वास हो, के पास लिखित शिकायत जमा कर सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु बनी रा.इ.सू.प्रौ.सं. की "आंतरिक शिकायत समिति" के पास भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

6. शिकायत का संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। दोषी पाए गए अपराधी को मौजूदा नियमों/ कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उचित सज़ा दी जाएगी।

7. उपरोक्त संबंध में किसी भी तरह की किसी भी घटना को रिपोर्ट करते समय पूर्ण विवेक से काम लेते हुए केवल वास्तविक/ सच्चे मामलों को ही रिपोर्ट करने की अपील की जाती है। प्रतिशोध या अन्य नकारात्मक भावनाओं के आधार पर की गई शिकायत के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा पर दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि बदला पूरा हो जाने पर मिलने बाली खुशी थोड़े समय के लिए रहती है मगर झूठे आरोप में किसी को फंसाने पर होने वाले अपराधबोध से जीवन भर राहत नहीं मिलती।

(जनक राज)
कुलसचिव

रा.इ.सू.प्रौ.सं. मुख्यालय के सभी नियमित कर्मचारी – *उनकी निगरानी में काम कर रहे संविदात्मक कर्मचारियों के बीच परिपत्र साझा करने के अनुरोध के साथ*

प्रति: -

(1) रा.इ.सू.प्रौ.सं. मुख्यालय के सभी प्रभाग प्रमुख – *उनकी जानकारी के लिए एवं उनके पर्यवेक्षण में कार्यरत नियमित एवं संविदात्मक कर्मचारियों के बीच परिसंचरण एवं अनुपालन हेतु*

(2) रा.इ.सू.प्रौ.सं. मुख्यालय के वेबमास्टर – *रा.इ.सू.प्रौ.सं. मुख्यालय पर अपलोड करने हेतु*

प्रति (सूचनार्थ): - महानिदेशक, रा.इ.सू.प्रौ.सं. के स्टाफ अधिकारी